

बिहार सरकार  
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

ज्ञाप सं०-2/वि.60-40/2014-...../

पटना, दिनांक ...../2018

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,  
पटना।

विषय:- कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थान, बिहार ललित कला अकादमी, पटना, बिहार संगीत नाटक अकादमी, पटना एवं भारतीय नृत्य कला मंदिर, पटना को विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन के निमित्त वर्तमान वित्तीय वर्ष-2017-18 में क्रमशः ₹ 50,00,000/- (पचास लाख रुपये), ₹ 50,00,000/- (पचास लाख रुपये) एवं ₹ 10,00,000/- (दस लाख रुपये) अर्थात् कुल- ₹ 1,10,00,000/- (एक करोड़ दस लाख रुपये) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

- राशि का विकलन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में मांग संख्या-08 के अधीन योजना बजट शीर्ष-2205-कला एवं संस्कृति-102-कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन-0101-कला और संस्कृति का संवर्द्धन, विपत्र कोड 08-2205001020101 के अंतर्गत विषय शीर्ष-3106-सहायक अनुदान-वेतानादि के अलावा में होगा।
- राशि की निकासी, अवर सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निम्न रूप से संबंधित संस्थानों को राशि का भुगतान किया जायेगा:-

| क्र. | संस्थान का नाम                | विभिन्न योजनाओं एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु राशि |
|------|-------------------------------|--|
| 1.   | बिहार ललित कला अकादमी, पटना   | ₹ 50,00,000/- (पचास लाख)                           |
| 2.   | बिहार संगीत नाटक अकादमी, पटना | ₹ 50,00,000/- (पचास लाख)                           |
| 3.   | भारतीय नृत्य कला मंदिर, पटना  | ₹ 10,00,000/- (दस लाख)                             |
|      | कुल-                          | ₹ 1,10,00,000/- (एक करोड़ दस लाख रुपये) मात्र      |

- स्वीकृत राशि का लेखा जोखा अलग रखा जायेगा। वित्त विभाग के ज्ञापक 13158, दि० 25.10.1975 में सन्निहित शर्तों के आलोक में भारतीय अंकेक्षण एवं बिहार सरकार के अंकेक्षण विभाग को स्वीकृत राशि के अंकेक्षण का पूर्ण अधिकार होगा। सम्पूर्ण राशि या इसके किसी अंश का दुरुपयोग प्रमाणित होने पर संस्था से वसूलनीय होगा।
- उक्त राशि का उपयोग संस्थान के विभिन्न योजनाओं एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम पर व्यय की जायेगी तथा ससमय-अंकेक्षण एवं व्ययोपरांत उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
- यह स्वीकृति वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.1998 एवं संकल्प संख्या-3758 दिनांक-31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में दी गयी है।
- राशि की स्वीकृति पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से  
ह०/-  
(मीना कुमारी)  
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापक ...../ पटना, दिनांक ...../2018

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-  
(मीना कुमारी)  
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापक 84/...../ पटना, दिनांक 01/3/...../2018

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/अवर सचिव/निदेशक सांस्कृतिक कार्य/उप निदेशक (संस्कृति)/प्रशाखा पदाधिकारी 1 एवं 2/लेखापाल (दो प्रतियों में)/बजट सहायक/प्रबंधक, आई०टी०, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/सचिव, बिहार संगीत नाटक अकादमी, पटना, प्रेमचंद रंगशाला, पटना/सचिव, बिहार ललित कला अकादमी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-  
(मीना कुमारी)  
सरकार के उप सचिव।